

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत.....सहायक कलक्टर..... मुकाम (SDO) बायतु.....

विरमाराज जैरा खनाम - 4241 - 3002

किस्म मुकदमा.....रा. आवेदन 111, 128 R.R. नं. 320/2021 सन् 2021.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/10/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री.....पञ्जराज जाग्रदिया..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा.....111, 128..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/12/2021 को पेश हो।	
27/12/21	प्रार्थी वकील उपदिमत/विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल मिस तामिल देयात। सीमान पीठान हकिशारी उदित कार्पे के पत्र होने से मिराल इल्लवा टोड किगापी दिनांक - 28/02/2022 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
28/02/2022	प्रार्थी वकील उपदिमत/विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल शुद्धा अफ्त जिमे तामिल पत्रावली विप्रा अफ्त/विप्रार्थी गण वक्तव्य तामिल देयात/जिमे विरुद्ध एकलप्य कार्पे अफ्त में लाई जा 8 वास्ते वास्त पत्रावली दिनांक 08/03/2022 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु


तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

08/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
अधीनस्थ कर्मचारी  
(SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/ 97  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 08/03/2022  
विप्रार्थीगण

1. विरमाराम पुत्र खेताराम वगैरा 05,  
जाति जाट, निवासी जाखड़ा,  
पटवार मण्डल जाखड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. पूनमा पुत्र चिमाराम वगैरा 21  
जाति सुथार, निवासी जाखड़ा,  
पटवार मण्डल जाखड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 320/2021

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - जाखड़ा, पटवार मण्डल - जाखड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 23 रकबा 27.2191 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2022/ 98 to 102  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विरमाराम पुत्र खेताराम वगैरा 05,
4. विप्रार्थी श्री पूनमा पुत्र चिमाराम वगैरा 21
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 08/03/2022

सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी बायतु